न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 68/2021

1. ईसा मौहम्मद
2. फकरूद्दीन
3. रफीक मौहम्मद
4. समसुद्दीन पिसरान सुलेमान
5. हाजरा पत्नि सुलेमान
6. सरीफन
7. ताहिरा
8. आयशा
9. फातमा पुत्रीयान सुलेमान जाति मेव निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी (भरतपुर)
2. हब्बी पुत्र रहमत जाति मेव निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री मौहम्मद खाँ वकील प्रार्थीगण
2. श्री प्रहलाद सिंह वकील अप्रार्थी संख्या 2

दिनांक :--23/09/2022

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी साविक खसरा नम्बर 266/0.17, 270/0.30, 1178/0.44, 494/0.20 हाल खसरा नम्बर 321/0.17, 326/0.01, 592/0.20, 1396/0.44 हैक्टर बांके ग्राम छपरा तहसील पहाडी में स्थित है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर के नये नम्बर एवं मिसल जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन गलती से प्रार्थीगण की आराजी में अप्रार्थी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दिया उक्त गलत इन्द्राज पर प्रार्थीगण को भारी परेशानी हो रही है। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का प्रार्थीगण की आराजी से किसी किस्म का कोई संबन्ध नहीं है प्रार्थीगण आराजी पर काबिज

उपखण्ड अधिकारी,
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रहकर शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त करते चले आ रहे है इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 के गलत नाम को राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन कर प्रार्थीगण अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा पाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के पिता सुलेमान फौत हो चुका है। प्रार्थीगण मृत्तक सुलेमान के जायज वारिस है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी साविक खसरा नम्बर 266/0.17, 270/0.30, 1178/0.44, 494/0.20 हाल खसरा नम्बर 321/0.17, 326/0.01, 592/0.20, 1396/0.44 हैक्टर बांके ग्राम छपरा तहसील पहाडी में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मिसल जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन गलती से प्रार्थीगण की आराजी में अप्रार्थी संख्या 2 का गलत नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है उक्त गलत नाम को कलमजन कर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये जबाब इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर 321/0.17 , 326/0.21, 592/0.20, 1396/0.44 बांके ग्राम छपरा में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मिसल जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से प्रार्थीगण की आराजी में अप्रार्थी संख्या 2 हब्बी का गलत नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है । अतः उक्त नाम को कलमजन कर शुद्ध किया जाना उचित है।

अप्रार्थी संख्या 2 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये। जबाब पेश ना करने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 का जबाब दिनांक 04/07/2022 को बन्द किया गया। बहस वकील फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया।

हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण रिकॉर्ड शुद्धि का है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2061–64 खाता संख्या 477 आराजी साविक खसरा नम्बर 266/0.17, 270/0.30, 1178/0.44, 494/0.20 पर सुलेमान पुत्र जरू पूर्ण हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। तथा जमाबंदी सम्वत् 2074–74 (आधार वर्ष) खाता संख्या 478 हाल खसरा नम्बर 321/0.17, 326/0.01, 592/0.20, 1396/0.44 पर भी सुलेमान पुत्र जरू पूर्ण हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। परंतु जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 577 हाल खसरा नम्बर 321/0.17, 326/0.01, 592/0.20, 1396/0.44 पर सुलेमान पुत्र जरू का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि प्रार्थी द्वारा भूमि का कोई अन्तरण नहीं किया गया है। इस तथ्य को तहसीलदार पहाड़ी द्वारा अपने जवाब में भी स्वीकार किया है। तहसीलदार पहाड़ी द्वारा अपने जवाब में यह भी कथन किया

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

है कि खसरा नम्बर 321/0.17, 326/0.21, 592/0.20, 1396/0.44 बांके ग्राम छपरा में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा मिसल जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से प्रार्थीगण की आराजी में अप्रार्थी संख्या 2 हब्बी का गलत नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। अतः उक्त नाम को कलमजन कर शुद्ध किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा रिकॉर्ड कायम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट किया जाता है। जमाबंदी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 577 हाल खसरा नम्बर 321/0.17, 326/0.01, 592/0.20, 1396/0.44 बांके ग्राम छपरा तहसील पहाडी पर अप्रार्थी संख्या 02 का नाम कलमजन कर प्रार्थीगण का हिस्से अनुसार नाम दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/09/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

NOTE :- मुताबिक आदेश दि० 21/10/22 के ख० न० 326/0.01 के स्थान पर ख० न० 326/0.21 पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner